कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साईज, कलकत्ता

बनाम

मैसर्स अलनोरी टोबेको उत्पाद और अन्य

21 जुलाई, 2004

{एस.एन. वरियाव और अरिजीत पसायत, जे.जे.}

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985

धारा 35 (च) अनुसूची शुल्क उपशीर्ष 2404.90- तम्बाकू पाउडर/धूल अनिर्मित तम्बाकू के पत्तों को कुचलकर कर प्राप्त पाउडर/धूल -उपशीर्ष 2404.90 के अन्तर्गत वगीकृत और मांग उठाई गई- कलेक्टर (अपील) द्वारा मांग की पुष्टि करते हुए और धारा 35 (च) के गैर-अनुपालन करने पर अपीलों को खारिज की गई- न्यायाधिकरण द्वारा धारा 35 (च) की गैर-अनुपालना के मुद्दे की जांच के बिना गुण दोष के आधार अपील की अनुमति देना- अभिनिर्धारित न्यायाधिकरण का निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है।

पूर्ववर्ती निर्णयों पर निर्भरता -अभिनिर्धारित न्यायालय को उनकी तथ्यात्मक स्थितियों पर चर्चा किए बिना निर्णयों पर निर्भरता को स्थान नहीं देना चाहिए।

न्यायालय के निर्णयों का निर्माण-अभिनिर्धारित, न्यायालय के

निर्णयों को काननू के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

निर्धारिती उत्तरदाताओं जो तम्बाकू पाउडर/धूल के निर्माण में लगे हुए थे कारण बताओं नोटिस और मांगों के साथ दिया गया जिसमें कहा गया था कि उनका उत्पाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 की अनुसूची के उपशीर्ष 2404.90 के अन्तर्गत आता है। मांगों की पुष्टि की गई। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपीलें) के समक्ष दायर की गई, अधिनियम की धारा 35 (च) के गैर अनुपालना के कारण खारिज कर दिया गया। सीमा शुल्क उत्पाद और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण ने गुण-दोष के आधार पर अपील की अनुमति देते हुए कहा कि यह वस्तु शुल्क उपशीर्ष 2401.00 के तहत अनिर्मित तम्बाकू के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है। व्यथित होकर राजस्व ने वर्तमान अपीलें दायर की।

राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया था कि न्यायाधिकरण को मामले के गुण दोष में नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उनके समक्ष का मुद्दा अधिनियम की धारा 35 (च) के संदर्भ में आदेश का गैर-अनुपालन के लिए कलेक्टर (अपीलें) द्वारा अपील को खारिज करने के औचित्य से संबंधित था।

अपीलों का निपटारा करना और मामले का सी.ई.जी.ए.टी. न्यायालय में वापस भेजना।

अभिनिर्धारित किया:-

1.1 सी.ई.जी.ए.टी. ने प्रासंगिक पहलुओं पर विचार नहीं किया और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 की धारा 35 (च) की आवश्यकताओं का पालना न करने के लिए कलेक्टर (अपील) द्वारा अपीलों को खारिज करने से औचित्य की जांच के बिना योग्यता के आधार पर अपीलों का निर्णय लेने के लिए अगले चरण की ओर बढ़े। इस संबंध में सी.ई.जी.ए.टी. द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। {113-डी;115-बी}

2.1 न्यायालयों को इस बात पर चर्चा किए बिना निर्णयों पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए कि वास्तविक स्थिति, निर्णय की तथ्यात्मक स्थिति के साथ कैसे मेल खाती है। जिस पर निर्भरत रखी गई है। परिवेशी लचीलापन, एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों के निष्कर्षो के बीच बहुत अन्तर बना सकता है। अदालतों के अवलोकन को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। जिसमें वे बताये गये प्रतीत होते है। न्यायालयों के निर्णयों को कानून के रूप में नहीं मानना चाहिए। शब्दों, वाक्यांशों और कानून के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए न्यायधीशों को लम्बी बहस करना आवश्यक हो सकता है किन्तु बहस समझाने के लिए होती है न की परिभाषित करने के लिए। {113-एफ-जी;114-ई}

2.2 वर्तमान मामलें में निर्णायक प्राधिकारी द्वारा तथ्यों पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि गैर-निर्मित तम्बाकू के पत्तों को कुचलकर प्राप्त तम्बाकू पाउडर एक अलग नाम और पहचान वाला एक अलग

वाणिज्यिक उत्पाद है जबकि सी.ई.जी.ए.टी. द्वारा अनुसरण किए गए मामलें में यह विशेष रूप से देखा गया था कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि एक अलग वाणिज्यिक उत्पाद अस्तित्व में आया था।

श्री विश्व विजय इंड़स्ट्रीज बनाम सी.सी.ई. भुवनेश्वर, {1990} 96 ई.एल.टी. 712 48 ई.एल.टी. 115 शम्सुद्दीन अकबर खान एण्ड़ कम्पनी बनाम कमिश्नर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बी.बी.आर.एस. (आदेश सं. ए-888/कैल/97 दिनांकित 29.07.1997), दोनो में अन्तर किया गया।

श्री चंद अग्रवाल बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, (1990) 48 ई.एल.टी. 115 48 ई.एल.टी. 115 ने उद्धृत किया।

लंदन ग्रेविंग डांक कं. लिमिटेड़ बनाम हॉर्टन, (1951) एसी 737; गृह कार्यालय बनाम डोरसेट यॉट कम्पनी, (1970) 2 ऑल ई.आर. 294 और हैरिंगटन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड, (1972) 2 डब्ल्यू.एल.आर. 537, उद्धृत किया।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार:सिविल अपील नम्बर. 4502-4503/1998

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीली न्यायाधिकरण कलकत्ता की पूर्वी पीठ के आदेश और निर्णय से ए नम्बर ई (एबी)- 665, 666/92 एफ.ओ. नम्बर ए-254-255 वर्ष 1998

अपीलार्थी की ओर से के.स्वामी और बी. कृष्ण प्रसाद।

उत्तरदाताओं की ओर से रमेश सिंह, सुश्री दिव्या रॉय और सुश्री बीना गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया-

अरिजित पसायत, जे.

ये अपीलें सीमा, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधीकरण पूर्वी शाखा कलकत्ता (संक्षेप में 'सी.इ.जी.ए.टी.') के आम निर्णयों के खिलाफ जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकरियों द्वारा विरोध किया जा रहा है और आक्षेपित निर्णय द्वारा सी.इ.जी.ए.टी. ने माना कि तम्बाकु की पत्तियों, तनो, डंठलों और बटों को कुचलने से प्राप्त तम्बाकू पाउडर को शुल्क उपशीर्ष- 2401.00 के तहत गैर-निर्मित तम्बाकु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और अनुसूची के उपशीर्ष 2404.90 के तहत निर्मित तम्बाकु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1984 (संक्षेप में 'शुल्क अधिनियम')।

संक्षेप में पुष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैः

उत्तरदाताओं के पास केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत लाईसेंस है। वे 'गुल' के निर्माण में लगे हुए है। अभिलखों की जांच करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, बैरेकपुर डिवीजन, कलकत्ता ने देखा कि 1.2.90 से 31.07.90 की अवधि के दौरान निर्मित तम्बाकू पाउडर/धूल' '

के उपशीर्षक 2404.90 के अन्तर्गत आते है। उन्होंने महसूस किया कि बिना उचित कारण के शुल्क, जिसमें 8871.65 रूपए (बुनियादी और विशेष दोनों) शामिल हैं का भुगतान नहीं किया गया था। वैधानिक रिकॉर्ड नही बनाये गये थे। जिससे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 174, 9(1), 52, 52ए, 54 और 226 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। 1.08.90 से 31.12.90 तक मांग वसूलने का प्रस्ताव जारी करते हुए 31.01.91को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। 1.1.1991 से 31.5.1991 और 1.6.1991 से 24.7.1991 तक की अवधि के लिए इसी तरह की मांगों के लिए कारण बताओं नोटिस भी जारी किए गए थे।

सम्बन्धित रेंज केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक ने कारण-सह-मांग नोटिस जारी किया गया। उत्तरदाताओं को सुनने के बाद सहायक कलेक्टर ने माना कि तम्बाकू पाउडर/धूल कुचलने से निकलता है। गैर-निर्मित तम्बाकू के पत्ते एक विशिष्ट उत्पाद है जिनका विशिष्ट नाम है और उपशीर्षक 2404.90 के अन्तर्गत आते है। मांगों की पुष्टि की गई।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपीलें) कलकत्ता कलेक्टर के समक्ष अपीलें की गई स्थगन के एक आवेदन के साथ। स्थगन आवेदन कलेक्टर (अपील) द्वारा यह मानते हुए खारिज कर दिया था कि मांगी गई शुल्क की वसूली पर स्थगन काकोई मामला नहीं बनता है। मांगी गई शुल्क की राशि जमा

कराके स्थगन आदेश का पालना नहीं किया गया था। इसलिए अधिनियम की धारा 35 (च) का अनुपालना न करने के कारण अपील खारिज कर दी गई। दोनों उत्तरदातों के खिलाफ उठाई गई मांगों के सम्बन्ध में स्थिति सामान्य थी।

उत्तरदातओं ने सी.ई.जी.ए.टी. के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। सी.ई.जी.ए.टी. का विचार था कि सम्बन्धित मुद्दा उत्पाद पर लागू शुल्क उपशीर्षक से सम्बन्धित है।

उत्तरदाताओं जो सी.ई.जी.ए.टी. के समक्ष पहले अपीलार्थी थे ने प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे का निर्णय दो मामलों में दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया अर्थात विश्व विजय इण्डस्ट्रीज बनाम सी.सी.ई. भुवनेश्वर,(1997) 96 ईएलटी 712 (न्यायाधिकरण) और शम्सुइद्दीन अकबर खान और कम्पनी बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बीबीएसआर(आदेश नम्बर ए-888/कैल./97 दिनांक 29.07.1997).

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि श्री चन्द्र अग्रवाल बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कलेक्टर (1990) 48 ईएलटी 115 (न्यायाधिकारण) में यह स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि विभिन्न रूपों और संयाजनों में तम्बाकू पाउडर विनिर्मित श्रेणी में आता है और इसलिए तम्बाकू पाउडर को शुल्क उपशीर्षक 2404.90. के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। न्यायाधिकरण

ने नोट किया कि श्री चन्द के मामले (उपरोक्त) में मुद्दा तम्बाकू की धूल के वर्गीकरण से सम्बन्धित है न कि तम्बाकू पाउडर का और उक्त मामलें में पैराग्राफ 16 में जो कहा गया था वह एक बाध्यकारी मिसाल नहीं था और केवल इतरोक्ति की प्रकृति में था। हालाकि, यह माना गया कि वर्तमान उत्तरदातओं द्वारा अन्य दो निर्णयों पर निर्भर रहा गया वो सीधे मुद्दों से सम्बन्धित थे। तदनुसार, अपीलों की अनुमति दी गई।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वाना अधिवक्ता ने तर्क किया कि केवल सवाल यह है कि सी.ई.जी.ए.टी. निर्णय ले सकता था। कलेक्टर (अपील) द्वारा अपीलों को खारिज करने के औचित्य से सम्बन्धित हो सकता था। जब धारा 35 (च) के सम्बन्ध में आदेश का पालना नहीं किया गया था। वह गुण-दोष में चले गये अन्यथा भी न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा जब एक श्रेणीबद्ध निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है कि तम्बाकू पाउडर एक अलग वाणिज्यिक वस्तु थी और एक अलग नाम व पहचान वाली वस्तु थी। इस तथ्यात्मक सोच को इसके विपरित किसी सामग्री के बिना सी.ई.जी.ए.टी. के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता था। सी.ई.जी.ए.टी. द्वारा निर्भर किए गए दो मामलों में निर्णय विभिन्न तथ्यात्मक आधारों पर आधारित थे।

जवाब में, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्तओं ने तर्क किया कि तथ्यात्मक स्थिति समान थी और इसलिए, सी.ई.जी.ए.टी. को उपर

उल्लेखित दो निर्णयों पर भरोसा रखने और यह मानने के लिए उचित ठहराया गया था कि तम्बाकू का चूर्ण तम्बाकू के पत्तों से अलग उत्पाद नहीं था।

यह निर्विवाद है कि वर्तमान उत्तरदाताओं दायर गई अपील अधिनियम की धारा 35 (च) की आवश्यकताओं का पालन न करने के आधार पर खारिज कर दी गई थी। सी.ई.जी.ए.टी. को मुख्य रूप से उस पहलू पर विचार करना चाहिए था। सी.ई.जी.ए.टी. द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि सी.ई.जी.ए.टी. द्वारा जिन दो मामलों पर भरोसा किया गया था, उनके विपरित न्यायनिर्णायक प्राधिकारण द्वारा तथ्यों पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि गैर-निर्मित तम्बाकू के पत्तों को कुचलकर प्राप्त किया गया तम्बाकू पाउडर एक अलग वाणिज्यिक उत्पाद है। जिसका एक अलग नाम और पहचान है। सी.ई.जी.ए.टी. द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया, यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिकारियों द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि एक अलग वाणिज्यिक उत्पाद अस्तित्व में आया था।

न्यायालयों को इस बात पर चर्चा किए बिना निर्णयों पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए कि निर्णय की तथ्य स्थिति वास्तविक स्थिति के साथ कैसे मेल खाती है जिस पर निर्भरत रखी गई है। न्यायालयों के अवलोकनों

को न तो यूक्लिड के सिद्धान्तों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और न ही कानून के प्रावधानों के रूप में और वह भी उनके संदर्भ से बाहर निकालकर लिया जाना चाहिए। इन टिप्प्णीयों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे बताये गये प्रतीत होते हैं। न्यायालयों के निर्णयों को काननू के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी कानून के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लम्बी चर्चाए शुरू करना आवश्यक हो सकता है। केवल चर्चा व्याख्या करने के लिए होती है न कि परिभाषित करने के लिए। न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते है, वे शब्दों की व्याख्या करते हैं। उनके शब्दों की व्याख्या काननू के रूप में नहीं की जानी चाहिए लंदन गे्रविंग डांक कं. लिमिटेड बनाम हॉर्टन, (1951) एसी 737 पी. 761, लॉर्ड मैक डर्मोट ने देखा।

निःसंदेह, इस मामले को केवल विल्स, जे के इप्सिसिमा वर्टा के ईलाज से हल नहीं किया जा सकता था। मानों वो संसद के एक अधिनियम का हिस्सा थे और इसके लिए उपयुक्त व्याख्या के नियमों को लागू कर रहे थे। यह महान वजन को कम करने केलिए नहीं है। वास्तव में, उन सबसे प्रतिष्ठित न्यायाधीश द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को दिया जाना चाहिए।

होम ऑफिस बनाम डोरसेट याट कम्पनी, (1970) 2 ऑल ई.आर

294 में लॉर्ड रीड ने कहा ''लॉर्ड एट्कीन के भाषण को ऐसे नहीं माना जाना चाहिए जैसे कि यह एक कानूनी परिभाषा थी। इसके लिए नई पस्थितियों में योग्यता की आवश्यकता होगी। मेगार्री, जे (1971) 1 डब्लूएलआर 1062 में कहा गया ''किसी को, निश्चित रूप से, रसेल एल. जे. का एक आरक्षित निर्णय को भी ऐसे नहीं समझना चाहिए जैसे कि यह संसद का एक अधिनियम था'' और हैरिंगटन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड, (1972) 2 डब्लूएलआर 537 में लॉर्ड मोरिस ने कहाः

> ''किसी भाषण और निर्णय के शब्दों को विधायी अधिनियम के शब्दों के रूप में मानने में हमेशा खतरा होता है और यह याद रखना चाहिए कि व्यवस्था में किए गए न्यायिक बयान किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर किए गए है।"
>
> "परिवेशी लचीलापन, एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षो के बीच जमीन आसमान का अंतर बना सकता है। किसी निर्णय पर आंख मुंदकर भरोसा मामलों का निपटारा करना उचित नहीं है।"
>
> "लॉर्ड डेनिंग के निम्नलिखित शब्द पूर्ववर्ती विषय में लोकस क्लासिकस बन गए है।"
>
> ''प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करता है और एक मामले एवं दूसरे मामले के बीच एक करीबी समानता पर्याप्त

नहीं है क्योंकि एक भी महत्पूर्ण विवरण इस तरह के निर्णय लेने में पूरे पहलू को बदल सकता है। ऐसे मामलों का निर्णय लेने में किसी को मामलों को तय करने के प्रलोभन से बचना चाहिए (जैसा कि का ॅडोजो ने कहा है) इसलिए यह तय करने के लिए की काई मामला रेखा के किस तरफ पड़ता है, दूसरे मामले से व्यापक समानता बिल्कुल भी निर्णायक नहीं है।''

''पूर्ववर्ती का पालना केवल तब तक किया जाना चाहिए जब तक यह न्याय का मार्ग चिन्हित नहीं करता है लेकिन आपको मृत लकड़ी को काटना चाहिए, बगल की शाखाएं नहीं अन्यथा आप खुद को झाड़ीयों और शाखाओं में खोया हुआ पाएंगे। मेरा अनुरोध है कि न्याय के मार्ग को बाधा से मुक्त रखा जाए जो इसे बाधित कर सकते हैं।''

निर्विवाद स्थिति को देखते हुए जिस पर जी.ए.टी. ने विचार नहीं किया और अधिनियम की धारा 35 (च) की आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए कलेक्टर (अपील) द्वारा अपीलों को खारिज करने के औचित्य की जांच किए बिना प्रासंगिक पहलुओं और योग्यता के आधार पर अपीलों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े, विवादित निर्णय अस्थिर है और उन्हें खारिज किया जाता है। कानून के अनुसार नये सिरे से निर्णय के लिए मामले को सी.ई.जी.ए.टी. को वापस भेजते है। अपीलों का तदनुसार

निपटारा किया जाता है और खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गोविन्द बल्लभ पंत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।